न्यायालय श्री मेघराज सिंह मीणा, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 414/2024

सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर हाल कालवाड।

प्रार्थी,

बनाम

1. प्रभात पुत्र श्री गोपी, जाति–रेगर, निवासी–सरणाडूंगर, तहसील–जयपुर। (मृतक)
   - 1/1 मंगली देवी पत्नी स्व0 श्री प्रभात, जाति–रेगर, निवासी–सरणाडूंगर, तहसील–जयपुर। (मृतक)
   - 1/2 रामेश्वर प्रसाद पुत्र स्व0 श्री प्रभात, जाति–रेगर, निवासी–25, भगवती नगर–2, करतारपुरा, जयपुर।
   - 1/3 गोवर्धन लाल पुत्र स्व0 श्री प्रभात, जाति–रेगर, निवासी–सरणाडूंगर, तहसील–जयपुर। (मृतक)
     - 1/3/1 भगवानी देवी पत्नी स्व0 श्री गोवर्धन लाल, जाति–रेगर, निवासी –सरणाडूंगर, तहसील–जयपुर।
     - 1/3/2 अजय पुत्र स्व0 श्री गोवर्धन लाल, जाति–रेगर, निवासी –सरणाडूंगर, तहसील–जयपुर।
     - 1/3/3 दीपक पुत्र स्व0 श्री गोवर्धन लाल, जाति–रेगर, निवासी –सरणाडूंगर, तहसील–जयपुर।
     - 1/3/4 ऊषा पुत्री स्व0 श्री गोवर्धन लाल, जाति–रेगर, निवासी –सरणाडूंगर, तहसील–जयपुर।
     - 1/3/5 अर्चना पुत्री स्व0 श्री गोवर्धन लाल, जाति–रेगर, निवासी –सरणाडूंगर, तहसील–जयपुर।
   - 1/4 नेमीचन्द पुत्र स्व0 श्री प्रभात, जाति–रेगर, निवासी–सरणाडूंगर, पीएनबी के पास, रैगर मुहल्ला, मेन रोड, तहसील–जयपुर।
   - 1/5 महेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री प्रभात, जाति–रेगर, निवासी–26, भगवती नगर–2, करतारपुरा, जयपुर।
   - 1/6 मीरा पुत्री स्व0 श्री प्रभात, जाति–रेगर, निवासी–सरणाडूंगर, तहसील–जयपुर।
2. भूरामल पुत्र श्री मांगीलाल, जाति–रेगर, निवासी–सरणाडूंगर, तहसील–जयपुर।
3. भागीरथ पुत्र श्री मांगीलाल, जाति–रेगर, निवासी–सरणाडूंगर, तहसील–जयपुर।
4. बलदेव पुत्र श्री मांगीलाल, जाति–रेगर, निवासी–सरणाडूंगर, तहसील–जयपुर।
5. मेवाराम पुत्र श्री रामदेव, जाति–रेगर, निवासी–सरणाडूंगर, तहसील–जयपुर।
6. देवेन्द्र पुत्र श्री रामदेव, जाति–रेगर, निवासी–सरणाडूंगर, तहसील–जयपुर।
7. बुदा पुत्र श्री नाथू, जाति–रेगर, निवासी–सरणाडूंगर, तहसील–जयपुर।
8. रामेश्वर पुत्र श्री नाथू, जाति–रेगर, निवासी–सरणाडूंगर, तहसील–जयपुर।
9. [illegible] पुत्र श्री चन्दा, जाति–रेगर, निवासी–सरणाडूंगर, तहसील–जयपुर।
10. ज्ञानचंद पुत्र श्री छीतर, जाति–रेगर, निवासी–सरणाडूंगर, तहसील–जयपुर।
11. सूज्या पुत्र श्री छीतर, जाति–रेगर, निवासी–सरणाडूंगर, तहसील–जयपुर।
12. प्रभु पुत्र श्री लादू, जाति–रेगर, निवासी–सरणाडूंगर, तहसील–जयपुर।
13. जगदीश पुत्र श्री लादू, जाति–रेगर, निवासी–सरणाडूंगर, तहसील–जयपुर।
14. हनुमान पुत्र श्री सोजन, जाति–रेगर, निवासी–सरणाडूंगर, तहसील–जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थिति :–
1- पेरोकार सरकार।
2- अप्रार्थीगण असालतन वकालतन अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय दिनांक : 30.04.2026

तहसीलदार, जयपुर हाल कालवाड द्वारा निवेदन किया गया है कि ग्राम सरणा डूंगर की आराजी खसरा नम्बर 19/244 रकबा 5 बिस्वा खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015–34 के कॉलम संख्या 3 नाम भोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में माफी मंदिर ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री सिरे बिहारी जी बहतमाम पुजारी रामदयाल पि.मु. नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण राजवैध साकिन जयपुर कॉलम संख्या 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकाल में गंगल्या पुत्र पैमा वगैराह मु0कदीम दर्ज है। कालान्तर में बिना किसी वैध आदेश के माफी मन्दिर के बजाय वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हो गई जो पुनः मंदिर ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री सिरे बिहारी जी मन्दिर के नाम दर्ज की जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान् पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। विद्वान् पेरोकार सरकार ने रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015–34 के कॉलम संख्या 3 नाम भोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में माफी मंदिर ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री सिरे बिहारी जी बहतमाम पुजारी रामदयाल पि.मु. नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण राजवैध साकिन जयपुर कॉलम संख्या 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकाल में गंगल्या पुत्र पैमा लादू पुत्र किशना नाथू पुत्र गंगाबक्श भूरा पुत्र चन्दा कौम रैगर हि0 बराबर हि0 4/5 रामदेवा पुत्र काना कौम बलाई हि0 1/5 साकिन मु0कदीम दर्ज है जो बिना किसी वैद्य आदेश के अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये अप्रार्थीगण के नाम हस्तानान्तरित कर दी गई है जो अनुचित है और बिना वैद्य और बिना सक्षम आदेशों के किया गया हस्तानान्तरण प्रारम्भ से शून्य होने से काबिले निरस्त है मूर्ति

शाश्वत नाबालिग है नाबालिग की आराजी का हस्तान्तरण नियमों के विपरीत है अतः विवादग्रस्त आराजी वापिस मंदिर ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री सिरे बिहारी जी के नाम दर्ज की जावे।

हमनें विद्वान् पेरोकार सरकार की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बन्दोबस्त/जमाबन्दी/भू-प्रबन्ध (सैटलमेंट) विभाग के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादग्रस्त आराजी सम्वत् 2015-2034 में माफी मन्दिर ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री सिरे बिहारी जी के नाम दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की आराजी का हस्तान्तरण/विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित है। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना किसी वैद्य अधिकार के नहीं लगाया जा सकता है। नाबालिग माफी मंदिर ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री सिरे बिहारी जी की विवादग्रस्त आराजी को किसी व्यक्ति द्वारा काश्त भी की गई है तो वह मूर्ति का कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही माना जायेगा और उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। इस प्रकार नियमों के विपरीत माफी मंदिर ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री सिरे बिहारी जी की भूमि का इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत् 2024-27 में निजी खातेदारी तत्पश्चात् वर्तमान में जमाबंदी 2057-60 में अप्रार्थीगण के नाम शून्य आधारित व बिना किसी सक्षम अधिकारी, किसी वैध आदेश के बिना, अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये किया गया इन्द्राज प्रारम्भ से शून्य है और शून्य प्रभाव अवैध इन्द्राज का राजस्व अभिलेख में से हटाया जाना नितान्त आवश्यक है । पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाते हो कि जागीरों के पुनर्ग्रहण के समय और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने के समय ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री सिरे बिहारी जी से इतर किसी अन्य का कब्जा काश्त रहा हो अतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में स्वीकार किये गये नामान्तरकरण व जमाबन्दियों में किये गये इन्द्राज निरस्त करने तथा वापिस ठिकाना श्री ठाकुर जी श्री सिरे बिहारी जी के नाम लगाये जाने की राय से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। पक्षकार को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में दिनांक 10.06.2026 को प्रातः 10 बजे उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया।

अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 30.04.2026 को सुनाया गया।

(मेघराज सिंह मीना)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर